इन बिन्दुओं पर अंचल अधिकारी से बिन्दुवार प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें निम्न प्रकार उल्लेख है–

1. विवादित जमींन का वारिशान जीवित नहीं है।
2. विवादित जमींन में दखल कब्जा मोहिनी देवी, पति सीताराम दास का है।
3. रजिस्ट्रर–II में सुन्ती महराईन पति शंभू महरा का नाम दर्ज है।?
4. लगान रसीद का भुगतान मोहिनी देवी द्वारा किया जाता है।
5. 16/– रैयतों में सिर्फ गोपाल महरा को छोड़कर अन्य रैयतों को कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रतिवेदन के आधार पर एवं वर्त्तमान खतियान में विपक्षी के दखल दर्ज पाये जाने के कारण आवेदक को सक्षम न्यायालय में शरण लेने का आदेश दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन का कोई भी वारिशान जीवित नहीं है। अंचल अधिकारी के प्रविवेदन के अनुसार विपक्षी जमाबन्दी रैयत का कोई नहीं लगते है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि इस पर विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर फौती घोषित करने की कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul

उपायुक्त
दुमका।

Rahul

उपायुक्त
दुमका।

(118)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 18/2015–16

गोपाल महरा ..... आवेदक

बनाम

मोहिनी देवी ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

29/04/2016 यह आर0एम0आर0 सं0– 18/2015–16 गोपाल महरा बनाम् मोहिनी देवी, मौजा चरकापाथर, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0– 46/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के पिता शंभू हरिजन द्वारा निम्न न्यायालय में मौजा चारकापाथर के दाग सं0 4, 6, 15 एवं 22 का पट्टा सम्पुष्टि हेतु आवेदन दाखिल किया गया। जिसमें अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत जमींन मौजा के जमाबन्दी सं0 05 के अन्तर्गत कुल रकवा 0.92 डीसमल जमींन कारू चमार व पोषण चमार वो बोधी चमार वो टुना चमार वो दुखन चमार पे0 बन्धु चमार के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत नावल्द मर चुके है। आवेदकगण (विपक्षी) जमाबन्दी रैयत के कोई नहीं लगते है। इसी प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए प्रश्नगत जमींन जमाबन्दी सं0 05 को फौती घोषित करने हेतु अंचल अधिकारी से अलग से प्रतिवेदन की मांग की गई। इस आदेश के विरूद्ध में उपायुक्त के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया जिसे निष्पादनार्थ अपर उपायुक्त, दुमका के न्यायालय को हस्तान्तरण किया गया एवं रे0मि0 अपील वाद सं0 15/1995–96 के रूप में दर्ज किया गया। इस अपील वाद में अपर उपायुक्त द्वारा दिनांक 20.05.1995 को निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए वाद को निम्नांकित बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर पुनर्विचार हेतु निम्न न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

1. क्या विवादित जमींन का वारिशान जीवित है?
2. विवादित जमींन में दखल कब्जा किसका है?
3. रजिस्ट्रर–II में किसका नाम दर्ज है?
4. लगान रसीद का भुगतान किनके द्वारा किया जाता है?
5. क्या 16/– रैयतों को कोई आपत्ति है?